

राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा

प्रलिस के ललल:

अनुच्छेद 51(A), राष्ट्रगान का इतललस और वकलस, राष्ट्रीय गौरव अपमान नवलरण अधनललम 1971

मेन्स के ललल:

राष्ट्रीय प्रतीकों की रोकथाम, राष्ट्रगान का सम्मान और सर्वोच्च न्यायालय के नरुणल

चरुा में कुुुु ?

हलल ही में शरीनगर में **कारुुकारी मजसुदरेट** ने एक कारुुक्रम जहाँ जममू-कुशुीर के उपराजुुपाल मौजूद थे ,में **राष्ट्रगान के ललल खडे नहीं होने के आरुुप** में 11 लुुगुुुं कुु हरलसत में लेने के बाद कारावास भेज दलल।

- कुनहूने आदेश में कुहा गलल है कु "इस बात की पूरी संभावना है कुरलल होने पखे शांतलभंग करने उलुलंघन करुुगे और सारुुवजनकु शांतलभी भंग कर सकते हैं" ।
- कुनहूे **CRPC** की धारा 107/151 के अंतर्गत अकुुे वुुवहार के ललल बाधुु ("बाउंड डाउन") कुलल गलल थल ।

नूूू:

- कानूनी शबुुुुुं में, "बाउंड डाउन" का अरुुथ है कुसलल नशलकुतल तारुुख पर जाँच अधकुलरल लल नुुुायालय के सामने उपसुुथतल होना आवशुुुुुु है ।
- अभलुुकुत नुुुायालय के समकुष उपसुुथतल होने के ललल जमानत लल वुुकुतगतल गारंटी से बाधुु है ।

कारुुकारी मजसुदरेट

- CRPC, मजसुदरेट कुु 2 प्रकरलुुुं में वरुुगीकुत करतल है- कारुुकारी मजसुदरेट और नुुुायाकु मजसुदरेट । CRPC की धारा 3(4) दुुनुुुं के बीच बेहतर संबुुुुुुं कुु लागू करतुुी है ।
- एक कारुुकारी मजसुदरेट (EM), **कारुुकारी शाखा का एक अधकुलरल** होता है जसुके पास **भारतीय दुंड संहतल (IPC)** और आपराधकु प्रकुुरलल संहतल (CRPC) दुुनुुुं के अंतर्गत शकुुतलरुुुुुु होती है ।
- EM की नलुुकुतल **राजुु सरकरलुुुं दुुवलरल** की जाती है, और वे **मुखुु रूुु से कानून तथल वुुवसुुथल बनाए रखने एवं पुलसल और प्रशासनकु कारुु करने पर धुुन कूदुरतल करते हैं** ।
 - दूसरल ओर, **नुुुायाकु मजसुदरेट सजुा/जुुरमाना/हरलसत का फैसलल सुनलते हैं** और जाँच की प्रकुुरलल में साकुषुुुुुु की जाँच करते हैं ।
 - सलथ ही, नुुुायाकु मजसुदरेट **उकुु नुुुायालयुुुं के सीधे नरुुलतुरण में होते हैं** ।
- EM **कभी-कभी नुुुायालयुुुं** के रूुु में कारुु करते हैं जब वे शांतल और वुुवसुुथल बनाए रखने (CRPC धारा.107) के संबुुुुुु में जाँच (CRPC धारा.116) करते समय नुुुायाकु प्रकुुतल के अनुरूुु कारुु करते हैं ।

CRPC की धारा 107 और धारा 151

- धारा 107:** धारा 107 के अनुसार, एक EM यह अनुरुुध कर सकतल है कुकुुई वुुकुतल लल कारण प्रदरुुशतल करे कु कुनहूे अधकुततम एक वरुष के ललल शांतल बनाए रखने के ललल **बांड पर हसुुतलकुषर करने की आवशुुुुुु कलुुु नहीं होनी चाहलल**, लदल EM कुु जानकलरल है कु वुुकुतल ने अशांतल फैललई है (लल इसकुी संभावना है) लल सारुुवजनकु शांतल कुु भंग कुलल है ।
 - कुुई भी EM ऐसी कारुुवलई कर सकतल है, बशरुते कुुई एक (लदल दुुनुुुं नहीं) उसके अधकुलर कुषेतर से संबदुुुुुु हो:

- वह स्थान जहाँ इस प्रकार की शांतिभंग होने की संभावना हो
- वह व्यक्ति जिससे शांतिभंग होने की संभावना हो
- धारा 151: यह **संज्ञेय अपराधों** को घटति होने से रोकने के लिये गरिफ्तारी का प्रावधान करता है।
 - यह एक पुलिस अधिकारी को अधिकृत करता है जसिं ऐसे किसी अपराध को करने की योजना बना रहे कुछ व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तब उन्हें वारंट या मजसि्ट्रेट के आदेश के बिना ही गरिफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है।
 - हालाँकि, उन्हें **24 घंटे से अधिक समय तक के लिये हरिसत में नहीं रखा जा सकता** जब तक कि अगले आदेश (या किसी अन्य कानून) में ऐसा प्रावधान न किया गया हो।

भारत का राष्ट्रगान:

- परचिय:
 - यह **रवीन्द्रनाथ टैगोर** द्वारा रचित भारत के **राष्ट्रीय प्रतीकों** में से एक है। यह गान भारत की राष्ट्रिय वरिसत के साथ देशभक्ति और नषिठा को प्रदर्शति करता है।
- मूल स्रोत:
 - टैगोर ने 27 दसिंबर, 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के सत्र में पहली बार राष्ट्रगान प्रस्तुत किया।
 - वर्ष 1941 में इसे फरि से **सुभाष चंद्र बोस** द्वारा प्रस्तुत किया गया लेकिन उन्होंने मूल गीत से थोड़ा अलग संस्करण अपनाया, जसिं 'शुभ सुख चैन' कहा गया।
- विकास और अंगीकरण:
 - टैगोर ने पहला गान बंगाली में 'भरोतो भाग्यो बधिता' लिखा था जसिं बाद में संपादति किया गया तथा 'जन गण मन' के रूप में अनुवादति किया गया।
 - 24 जनवरी, 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाने की घोषणा की गई।

राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिये सुरक्षा उपाय:

- अनुच्छेद 51 (A):
 - यह भारत के नागरिकों के **मौलिक कर्तव्यों** का भाग है।
 - संवधान के मूल्यों और संस्थानों के साथ-साथ राष्ट्रिय ध्वज और राष्ट्रगान को बनाए रखने की ज़मिमेदारी प्रत्येक भारतीय नागरिक की है।
- राष्ट्रिय गौरव के अपमान की रोकथाम (PINH) अधिनियम, 1971:
 - अधिनियम में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रगान का अपमान करने और उसके प्रतबिंधों को तोड़ने पर **कठोर सजा** दी जाएगी।
 - आरोपी को **3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना** या दोनों से दंडति किया जाएगा।
- राष्ट्रगान आचार संहति:
 - इसमें यह प्रावधान है कि जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाएगा, तो **दर्शक सावधान मुद्रा खड़े रहेंगे**।
 - हालाँकि, जब किसी न्यूज़रील या वृत्तचतिर के दौरान फलिम के एक भाग के रूप में राष्ट्रगान बजाया जाता है, तो **दर्शकों से खड़े होने की उम्मीद नहीं** की जाती है।
 - इसमें उन अवसरों को भी सूचीबद्ध किया गया है जहाँ राष्ट्रगान का संक्षपित या पूरण संस्करण ही बजाया जाएगा।

राष्ट्रगान के सम्मान के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:

- बजिो इमैनुएल और अन्य बनाम केरल राज्य (1986):
 - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में राष्ट्रगान के कथति अनादर से संबंधति कानून नरिधारति किया गया था।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने ईसाई संप्रदाय के 3 बच्चों को सुरक्षा प्रदान की, न्यायालय का यह मानना था कि **राष्ट्रगान गाने के लिये बच्चों को मज़बूर करना उनके धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 25) का उल्लंघन है**।
 - उन बच्चों के माता-पति ने केरल उच्च न्यायालय में अपील की कि **ईसाई धर्म के यहोवा के साक्षी संप्रदाय में केवल यहोवा (ईश्वर का हबिरू नाम) की आराधना की** अनुमति है। उनका कहना था कि चूँकि राष्ट्रगान एक प्रार्थना है, वे सम्मान में खड़े तो हो सकते थे, लेकिन गा नहीं सकते थे।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सम्मानपूर्वक खड़ा होना और खुद न गाना न तो किसी को राष्ट्रगान गाने से रोकता है और न ही गाने के लिये एकत्रति हुए लोगों को किसी भी प्रकार की परेशान करता है। अतः यह **राष्ट्रीय गौरव अपमान नवारिण अधिनियम (Prevention of Insults to National Honour- PINH) अधिनियम 1971 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है**।
- श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ (2018):
 - वर्ष 2016 में इसी मामले की सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरमि आदेश पारति किया था जसिमें **भारतीय सनिमाघरों को फलिम शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनवारिण था और हॉल में मौजूद सभी लोगों के लिये खड़े हो कर इसका सम्मान करना अनवारिण था**।
 - हालाँकि, **जनवरी 2018 में मामले पर अपने अंतमि फैसले में**, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि **सनिमा हॉल में फीचर फलिमों की स्क्रीनिग से पहले राष्ट्रगान बजाना अनवारिण नहीं है, बल्कि वैकल्पिक है**।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में, नमिनलखिति में से कौन-सा कथन सही है? (2021)

- (a) पगिलिर्विकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तरिगे का डजिइन कथि।
- (b) पट्टाभिसीतारमैया ने यहाँ से आंध्र कषेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कथि।
- (c) रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांगला से अंगरेजी में अनुवाद कथि।
- (d) मैडम ब्लावात्स्की और करनल ओलकोट ने सबसे पहले यहाँ थयिसोफकिल सोसायटी का मुख्यालय स्थापति कथि।

उत्तर: (c)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/protecting-the-honour-of-national-anthem>

